

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

थाना नहतौर पुलिस द्वारा पेट्रोल पम्प पर फायरिंग कर सनसनी फैलाने वाले 06 अभिगण 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 02 जिंदा, 02 खोखा कारतूस, 04 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार।

दिनांक 22.04.2021 को थाना नहतौर क्षेत्रान्तर्गत झालू चौराहे के पास पेट्रोल पम्प पर दो पक्षों के 10-12 व्यक्तियों द्वारा आपसी कहासुनी के दौरान हवाई फायरिंग कर सनसनी फैलाये जाने के संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 115/2021 धारा 147/148/149/307/336/ 188/269/270 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट तथा 3/4 महामारी अधिनियम बनाम 10-12 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुये तत्काल नहतौर पुलिस को घटना में संलिप्त अभिगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। थाना नहतौर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1-भूपेंद्र 2-सचिन 3-विपिन 4-रजत 5-मनीष 6-शुभम राठी को 02 तमंचे 315 बोर, 02 खोखा, 02 जिंदा कारतूस व 04 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। थाना नहतौर पुलिस द्वारा इनके 02 अन्य साथी शुभम व निखिल दिनांक 23.04.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सीसीटीवी में पहचान किये अन्य अभिगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभिगण का नाम व पता:-

1-भूपेंद्र पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम रहमापुर थाना कोतवाली देहात, बिजनौर को एक अदद तमंचा 315 बोर एक जिंदा व एक खोखा कारतूस के गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 118/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

2-सचिन पुत्र शौकीन निवासी ग्राम रहमापुर थाना कोतवाली देहात, बिजनौर को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिंदा व एक खोखा कारतूस के गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 119/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

3-विपिन पुत्र कोमल सिंह निवासी ग्राम जगन्नाथपुर थाना कोतवाली देहात, बिजनौर को एक नाजायज चाकू के के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना दंजीवत पर मु0अ0सं0 120/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

4-रजत पुत्र राजवीर निवासी ग्राम गारवपुर चनत थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर को एक नाजायज चाकू के गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना दंजीवत पर मु0अ0सं0 121/2021 धारा 4/25 शास्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

5-मनीष पुत्र मुनेश निवासी गारवपुर थाना कोतवाली देहात, बिजनौर को एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 122/2021 धारा 4/25 शास्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

6-शुभम राठी पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम हरचंद्रपुर थाना नागल, बिजनौर को एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 123/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया

बरामदगी:-

1- 02 अवैध तमंचे 315 बोर

2- 04 नाजायज चाकू

3-02 खोखा व 02 जिंदा कारतूस



थाना स्योहारा- आज दिनांक 24.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-कपिल पुत्र घसीटा 2-बेगराज पुत्र मोहन 3-आसाराम मोहन सिंह निवासी गल्ला खेड़ी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 4-सूरजभान पुत्र हरी सिंह 5-नरेश पुत्र हरी सिंह 6-अवनीश पुत्र सूरजभान 7-सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी गण शीला खेड़ी को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

